फर्द अहकाम

बोधावली देवी बनाम प्रकाशचन्द

न्यायालय ACM चौमू

केस संख्या 62/2023

2023/201

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	18/10/23	श्री जितेन्द्र सैनी वकील ने प्रा. पत्र पेश किया रिपोर्ट से भूमि है प्रा. पत्र अर्ज रजिस्टर्ड हो। बाद वकील प्रार्थी एकपक्षीय सुनी गयी। प्रकरणपत्रावलोकन के पश्चात अन्तरिम व्यवस्था निषेधाज्ञा से प्रतिबन्ध पारित किया जाता है कि विवादित भू.ख.नं. 561, 563, 564/2 कुल किता 3 कुल रकबा 1.38 है० भूमि ग्राम गोविन्दगढ़ तह० चौमू जिला जयपुर के आगामी तारीख पेशी तक यथास्थिति बनाये रखें। प्रार्थी अधिवक्ता को आदेशित किया जाता है कि 039 R 3A का पालना किया जाना सुनिश्चित करें। इसके मोटे आपत्ति है तो, आगामी दिनांक 19/10/23 को पेश करें। प्रतिवादीगण को तलबी जारी हो। R	
	19/10/23	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीया मय अधिवक्ता के उपस्थित होकर प्रा. पत्र विड्रा हेतु पेश कर निवेदन किया कि पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो गया है प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहती है। प्रा. पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रा. पत्र विड्रा स्वीकार किया जाता है प्रार्थिया की पहचान जितेन्द्र सैनी वकील ने की। पत्रावली फैसल कुमार कर दर्ज रजिस्टर से कमी हो। आदेश उपरान्त हो। R	(RTI कोर्ट सेवा) I.D. by 19/10/23 रामनवास

तहसीलदार चौमूं (जयपुर)